NON - ENCUMBRANCE CERTIFICATE

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

अनुसूचि 21 – प्रपत्र संख्या 112

आवेदन पत्र सं० 1008

प्रमाण पत्र संख्या 505/25

चूंकि श्री Govind Lall Agrawal through Adv. Shivnarayan Kumar ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यवहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय ।

(आवेदन में दिए गए राज्य विवरण दें।)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे संबंध अनुक्रमणियों में ता० 01/01/2016 से ता० 14/09/25 तक तलाशी की गई और ऐसे तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :–

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	विवरण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्ट के प्रति निर्देश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द सं	वर्ष	पृष्ठ
Mouza		Ps	Khata No	Plot No		Area		
Murramkalan-91		Rangarh	74	252		1.70	Acre	
टिप्पणी के अनुसार NEC निर्गत								

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें –

(ख) बंधक की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।

(ग) पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें ।

कृ०पृ०उ०

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने प्रमाण पत्र तैयार किया !

हस्ताक्षर –

पदनाम – लिपिक

प्रमाण पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने किया –

हस्ताक्षर –

पदनाम – लिपिक

15-9-25

कार्यालय –

जिला अवर निबंधन कार्यालय, हजारीबाग / गोला / रामगढ़

कार्यालय जिला अवर निबंधक ★ रामगढ़ ★

15/9/25

जिला अवर निबंधक रामगढ़

तारीख 15/09/25

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी : इस प्रमाण पत्र में सव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं। वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गये। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण से भिन्न विवरण देकर इन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रान्जेशन्स इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे ।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टयाँ देखना चाहते हों अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा इन्हें विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों के अवभारों के प्रमाण–पत्रों की जरुरत तो उन्हें स्वयं तलाशी करनी होगी।
विहित फीस की भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों को उनके सामने रख दी जाएगी ।

क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाशी नहीं की है । इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भर तक सावधानी से की भी विभाग प्रमाण पत्रों में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेंवार नहीं होगा।

ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा ढूँढे गये संव्यवहार और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग द्वारा ढूँढे गए ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा तथा किसी भी भूल अथवा छूट के लिए कार्यालय जिम्मेवार नहीं होगा, जिसमें उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो ।

मैंने स्वयं जाँच ... सब सही पाया

Identified by me
SHIV NARAYAN KUMAR
Advocate
...urt, Ramgarh
Da... 13-8-25